web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 22 दिसंबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 85

महत्वपूर्ण एवं खास

ईडी ने पोंजी स्कीम मामले में 81.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने हिसार स्थित कंपनी फ्यूचर मेकर्स लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित एजेंट और अन्य के बैंक बैलेंस, जमीन, फ्लैट, दुकानों और आभूषणों के रूप में 81.7 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। आरोपी पोंजी स्कीम चला रहे थे और मासूम लोगों से कई सौ करोड़ रुपये की ठगी कर चुके थे। ईडी ने हरियाणा और तेलंगाना में दर्ज सात एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी ने कहा, कंपनी पोंजी स्कीम चलाती थी, जिसमें शीर्ष पर मौजूद लोगों को आधार पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा वहन किए गए नुकसान की कीमत पर लाभ होता था। ईडी की जांच से पता चला है कि बत्रा, जो कंपनी के सॉफ्टवेयर की देखरेख करते थे, ने फर्जी आईडी बनाकर कंपनी के खातों से 59.7 करोड़ रुपये से अधिक के फंड को डायवर्ट किया और अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में डाला। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि डायवर्ट किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा कई शेल कंपनियों के जरिए लॉन्ड्र किया गया, जिन्होंने बदले में कई संपत्तियां खरीदीं और उन्हें कुर्क किया गया है। बत्रा को 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 7 मई को पंचकूला की एक विशेष अदालत के समक्ष उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इससे पहले, कंपनी और उसके निदेशकों राधेश्याम, बंसीलाल और अन्य की 261.9 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।

खाना खाने के बाद 15 स्कूली छात्राएं बीमार, इलाज के लिए बुलाया गया तांत्रिक, जांच के आदेश

महोबा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के एक सरकारी स्कूल में दिन के खाने के बाद स्कूल की 15 लड़कियां बीमार हो गई, इसके बाद लड़कियों का इलाज कराने के लिए एक 'तांत्रिक' को बुलाया गया। इस घटना के बाद जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। यह घटना महोबा जिले के पनवाड़ी के महुआ गांव की है। लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करने के बजाय, स्कूल के अधिकारियों ने उन्हें ठीक करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। इस घटना का कथित तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। स्कूल पहुंचे वरिष्ठ जिला और पुलिस अधिकारियों ने तांत्रिक को परिसर से बाहर भगा दिया और छात्रों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बाद में छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब चिकित्सकों का कहना है कि सबकी हालत ठीक है।

छात्राओं को ले जा रही बस दुर्घटना का शिकार, 7 की मौत, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या

इंफाल (आरएनएस)। मणिपुर के नोनी जिले में बुधवार को एक स्कूल बस के पलट जाने से कम से कम सात छात्राओं की मौत हो गई और 18 से अधिक घायल हो गए। कई की हालत गंभीर है। छात्राओं को ले जा रही बस जिले के लोंगसाई इलाके के पास ओल्ड कछार रोड पर मोड़ के पास अचानक पलट गई, जिसमें कम से कम पांच छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां दो छात्राओं ने दम तोड़ दिया। मरने वालों की संख्या बढऩे की संभावना है क्योंकि कई छात्राओं की हालत गंभीर है। दुर्घटनास्थल इंफाल से करीब 55 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने कहा कि थम्बलनू हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे दो बसों में नोनी जिले के खौपुम के वार्षिक स्कूल अध्ययन दौरे पर गए थे। जिस बस में छात्राएं सवार थीं, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, आज ओल्ड कछार रोड पर स्कूली बच्चों को ले जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। बचाव अभियान में समन्वय के लिए एसडीआरएफ, मेडिकल टीम और विधायक घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बस में सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं।

फिर बढ़ा कोरोना का खतरा : बीमारी से निपटने के लिए सरकार की रणनीति, एम्स में बुलाई बड़ी बैठक

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना ने दुनिया भर में एक बार फिर अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर चीन में यह अपना रौद्र रूप धारण कर चुका है। कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की बड़ी संख्या में मौत हो रही है। ऐसे में अब भारत ने इससे निपटने के लिए अभी से पूरी सख्ती बरतने और सभी कोविड नियमों का पालन कराने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि आज बुधवार दोपहर दो बजे देशभर में कोरोना टीकाकरण के अभियान को लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़ी बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार एक बार फिर देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान को और तेजी के साथ शुरू करने की रणनीति तैयार कर रही है। वर्तमान में कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और तीसरी यानी बूस्टर डोज लगाने का काम किया जा रहा है। 15 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। इससे जुड़े अभियान को लेकर खास चर्चा की जा सकती है।

बताते चलें कि चीन में जहां कोरोना हाहाकार मचाए हुए है। वहीं दुनिया के खासकर एशिया, यूरोप समेत कई देशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना के वैश्विक मामलों में बड़ा उछाल रिकॉर्ड किया जा रहा है। गत 18 दिसंबर को कोरोना के आंकड़े यानी डेढ़ माह के भीतर 55 फीसदी उछाल मारे हैं। यह आंकड़ा अब 3.3 लाख से बढक़र 5.1 लाख पहुंच गया है जोकि आने वाले समय में दुनिया के लिए बेहद ही चिंताजनक बन सकता है।

एम्स में टीकाकरण को लेकर बुलाई गई बड़ी बैठक भी कोविड के बढ़ते नए मामले को लेकर अहम मानी जा रही है। अब तक देशभर में कुल 2,20,01,45,981 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के भीतर देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 3408 (0.01प्रतिशत) रिकॉर्ड की गई है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 44142242 (98.80त्न) ठीक हो चुके हैं और 530680 (1.19प्रतिशत) मरीजों की जान चुकी है।

चीन में तबाही मचा रहे कोरोना वैरिएंट के 3 मामले भारत में मिलने से हड़कंप

नई दिल्ली (आरएनएस)। चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस के ओमिक्रोन उपस्वरूप बीएफ.7 के तीन मामले भारत में भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि यह वही वैरिएंट है, जो चीन में तबाही मचा रहा है। इस बीच, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र ने भारत में बीएफ.7 के पहले मामले का पता लगाया था। उन्होंने कहा कि अब तक गुजरात से दो मामले सामने आए हैं, जबकि ओडिशा से एक मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कोविड समीक्षा बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि हालांकि अभी तक कोविड मामलों की संख्या में समग्र वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा और उभरते स्वरूपों पर नजऱ रखने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। यहां आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चीन के विभिन्न शहर वर्तमान में कोविड के अत्यधिक संक्रामक स्वरूप ओमिक्रोन, ज्यादातर बीएफ.7, की चपेट में हैं, जो बीजिंग में फैलने वाला मुख्य स्वरूप है। इसी के कारण चीन में कोविड संक्रमण के मामलों में व्यापक उछाल आया है। बीएफ.7 ओमीक्रोन के स्वरूप बीए.5 का उपस्वरूप है और इसमें संक्रमण की व्यापक क्षमता होती है तथा इसकी इनक्यूबेशन अवधि कम होती है और इसमें पुन: संक्रमण पैदा करने या उन लोगों को भी संक्रमित करने की उच्च क्षमता होती है, जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। यह अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों सहित कई देशों में पहले ही पाया जा चुका है।

कोविड के देशों में बढ़ रहे मामलों को लेकर भारत सरकार अलर्ट, दिए निर्देश- स्वास्थ्य मंत्री डा. मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 के बढ़ रहे चीन में मामलों पर बैठक की। जिसमें उन्होंने दुनिया भर में कोविड के बढ़ रहे केसों पर कोविड-19 स्थिति और निगरानी, नियंत्रण प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों की समीक्षा की। भारत सरकार भी कोविड के बढ़ रहे केसों को लेकर एक्टिव हो गई है। डा. मंडाविया द्वारा एक बड़ा भारत को लेकर निर्णय लिया गया। सूत्रों की जानकारी के साथ विदेश से आने वाले यात्रियों की रेंडम सेंपलिंग के आदेश दिए गए।

पैन कार्ड होल्डर्स को लग सकता 10 हजार का जुर्माना, बड़ी कार्यवाई की तैयारी में आईटी विभाग

नई दिल्ली (आरएनएस)। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभाग फिर एक बार सक्रिय हो गया है। विभाग ने बताया है कि पैन कार्ड होल्डर्स के 1 अप्रैल से फिर लोगों के पैन कार्ड बंद कर देगा। यानि आपको अपना पैन कार्ड 31 मार्च तक आधार कार्ड के साथ लिंक कराना होगा। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते तो आपको 10 रुपए तक का जुर्माना लग सकता हैं।

आप 1000 का चालान जमा कर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज 30 जून, 2022 के बाद से लेट फीस वसूल रहा है। आयकर विभाग ने बताया है कि जो लोग आयकर अधिनियम, 1961 के मुताबिक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके पैन कार्ड 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएंगे।

अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो आप म्युचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं दस्तावेज के रूप में करेंगे, तो आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप से 10 हजार रुपए वसूल सकता है।

एटा फर्जी एनकाउंटर में 16 साल बाद आया फैसला, पांच को उम्रकैद, चार पुलिसकर्मियों को 5-5 साल की सजा

गाजियाबाद (आरएनएस)। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने एटा में साल-2006 में हुए फर्जी एनकाउंटर में 9 पुलिसवालों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश परवेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसवालों को उम्रकैद और 4 पुलिसवालों को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला करीब 16 साल बाद आया है। इसके बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने 5 पुलिसकर्मियों पवन सिंह, श्रीपाल ठेनुआ, सरनाम सिंह, राजेंद्र प्रसाद और मोहकम सिंह को हत्या और साक्ष्य छुपाने का दोषी करार दिया है।

इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 33-33 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

इसके अलावा सिपाही बलदेव प्रसाद, अवधेश रावत, अजय कुमार और सुमेर सिंह को साक्ष्य मिटाने और कॉमन इंटेंशन का दोषी करार दिया है। इनको पांच-पांच साल कैद की सजा और 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस एनकाउंटर में शामिल रहे 10वें पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर अजंट सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है।

गौरतलब है की एटा के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में 18 अगस्त 2006 को एक एनकाउंटर पुलिस ने किया था। इसमें राजाराम नामक एक व्यक्ति मारा गया। पुलिस के मुताबिक, ये डकैत था और कई घटनाओं में शामिल रहा था। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि राजाराम उस रात को भी डकैती की वारदात करने के लिए जा रहा था। राजाराम पेशे से बढ़ई (फर्नीचर कारीगर) था। वो पुलिसवालों के घर भी काम करता था। एनकाउंटर में मारने के बाद पुलिसवालों ने उसकी लाश अज्ञात में दिखाई। राजाराम पर एक भी केस दर्ज नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको डकैत बताकर मार दिया था। जिस सिढ़पुरा थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हुआ था, ये थाना आज कासगंज जिले में आता है।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 को लागू करने के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं : कैग

नई दिल्ली (आरएनएस)। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने एक ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कार्य योजना की कमी के कारण प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। सरकारी लेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में कहा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) के पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू नहीं किया जा सका।

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, डेटा गैप थे, जिसके कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ एमओईएफ और सीसी के पास 2015-20 की अवधि के दौरान पूरे देश में प्लास्टिक कचरे की पूरी और व्यापक तस्वीर नहीं थी। ऑडिट ने यह भी देखा कि

प्राप्त डेटा एसपीसीबी और पीसीसी को एसपीसीबी द्वारा इसकी प्रामाणिकता और शुद्धता का आकलन करने के लिए मान्य नहीं किया गया था।

कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के सभी तीन सैंपल यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) ने 2015-20 के दौरान हर साल डीपीसीसी को उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे का डेटा नहीं दिया।

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने 2015-20, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) ने 2015-16 और 2017-18 और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने 2015-16 के लिए डेटा प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि, डीपीसीसी को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों की लेखापरीक्षा को मुहैया कराए गए आंकड़ों से तुलना करने पर एनडीएमसी के आंकड़ों में 45.97 फीसदी का अंतर देखा गया, जबकि एसडीएमसी के मामले में आंकड़ों में 40 फीसदी का अंतर था।

कैग ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को अपनी एजेंसियों (सीपीसीबी, एसपीसीबी/पीसीसी) के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, संग्रह और निपटान के संबंध में प्रभावी डेटा संग्रह के लिए एक प्रणाली स्थापित करने और उनके कामकाज की निगरानी करने की जरूरत है।

कैग ने यह भी कहा कि स्थानीय निकायों के समन्वय में सीपीसीबी और राज्य पीसीबी/पीसीसी को समय-समय पर, उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा का व्यापक मूल्यांकन करने और आबादी के आकार, क्षेत्र के भौगोलिक आकार जैसे मापदंडों के अनुसार डेटा एकत्र करने की जरूरत है।

उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को शामिल करके अपने उपनियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकते हैं।

रिपोर्ट में एक परियोजना पर निष्फल खर्च को भी दर्शाया गया है और कहा गया है : एमओईएफ और सीसी द्वारा अप्रभावी निगरानी और वित्तीय सहायता जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप डिमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट से पर्यावरणीय लाभ प्राप्त नहीं हुआ और 73.35 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू बने साधु की बेरहमी से हत्या, 4 हिस्सों में काटकर फेंका शव

धौलपुर (आरएनएस)। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां नदी किनारे एक साधु का शव 4 टुकड़ों में मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक कंचनपुर थाना इलाके के बामणी के जंगलों में पार्वती नदी के किनारे बुधवार सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई जिसके बाद पता चला कि शव 60 वर्षीय महामुद्दीन खान का है जो एक प्लास्टिक के कट्टे में 4 टुकड़ों में नदी के किनारे पाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक साधु भीमगढ़ गांव का रहने वाला था और पिछले 10 साल से वह टोंटरी गांव के बीहड़ में स्थित माता के मंदिर पर पूजा करता था। घटना की जानकारी मिलते ही

कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं घटनास्थल पर एफएसएल की एक टीम को भी बुलाया गया है।

वहीं जानकारी मिली है कि मृतक साधु ने मुस्लिम धर्म को छोडक़र हिंदू धर्म अपना लिया था और पिछले 10 सालों से वह चामुंडा माता के मंदिर में ही रहता था और यहां पूजा पाठ करने के अलावा मंदिर की देखभाल करता था।

छत्तीसगढ़ की चाय व कॉफी की खुशबू बिखर रही चहुं ओर

❐ किसानों के लिए चाय-कॉफी की खेती बन रही बेहतर आय का जरिया

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य अपनी धान की दुर्लभ प्रजातियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। बड़े पैमाने पर धान की खेती होने के कारण राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। प्राकृतिक संपदा से भरपूर प्रदेश में नदियां, जंगल, पहाड़ और पठार भी काफी भू-भाग में हैं। इनमें पठारी भूमि में धान का उत्पादन नहीं हो पाने के कारण अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सीमित हो गया था। इन सबके बावजूद जशपुर जिले के पठारी क्षेत्र में चाय और बस्तर में कॉफी की खेती ने संभावानाओं के नए द्वार खोले हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने यहां की जलवायु के अध्ययन के आधार पर संभावनाओं को नई दिशा दी है।

किसानों के लिए चाय-कॉफ ी की खेती बन रही बेहतर आय का जरिया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से टी-कॉफ ी बोर्ड गठन का फैसला इसी दिशा में अहम कदम है। जिसके तहत राज्य में 10-10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया है। जशपुर जिला में चाय की खेती सफलतापूर्वक की जा रही हैं। यहां शासन ने जिला खनिज न्यास, वन विभाग, डेयरी विकास योजना और मनरेगा की योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कांटाबेल, बालाछापर, सारुडीह के 80 एकड़ भूमि में चाय बागान विकसित हो रहे हैं।

कुछ साल बाद जब बागानों से चाय का उत्पादन शुरू होगा तो प्रति एकड़ 2 लाख रुपये सालाना तक का किसान लाभ कमा सकेंगे। यह धान की खेती से कहीं अधिक लाभकारी साबित होगा। इसी तरह बस्तर के दरभा, ककालगुर और डिलमिली में कॉफी की खेती विकसित हो चुकी है। यहां कॉफी की दो प्रजातियां अरेबिका और रूबस्टा कॉफी लगाए गए हैं। बस्तर की कॉफी की गुणवत्ता ओडिसा और आंध्रप्रदेश के अरकू वैली में उत्पादित किए जा रहे कॉफी के समान है। कॉफ ी उत्पादन के लिए समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई जरूरी है। बस्तर के कई इलाकों की ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर से ज्यादा है जहां ढलान पर खेती के लिए जगह उपलब्ध है।

100 एकड़ जमीन में कॉफी उत्पादन का प्रयोग सफल रहा है तथा बस्तर कॉफी नाम से इसकी ब्रांडिंग भी हो रही है। उद्यानिकी विभाग किसानों को काफी उत्पादन का प्रशिक्षण भी दे रहा है। चाय-कॉफी की खेती की विशेषता यह है कि इसके लिए हर साल बीज नहीं डालना पड़ता किसान कॉफी की खेती से हर साल 50 हजार से 80 हजार प्रति एकड़ आमदनी कमा सकते है। धान की तरह बहुत अधिक पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल देखभाल करने की आवश्यकता रहती है।

वनोपजों के मामले में प्रदेश काफी आगे है तथा पठारी क्षेत्रों में चाय-कॉफी के उत्पादन से ग्रामीणों के लिए रोजगार और अर्थोपार्जन के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार की ओर से टी-कॉफी बोर्ड बनाने पहल को सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कृषि वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर सरकार की तरफ से हुई इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आएंगे और राज्य के किसानों और उद्यमियों की संपन्नता में चाय-कॉफी ताजगी लाने का काम करेगी।